

closed

अनुसूची, 14-फारम सं० 562

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से तक

जिला सं० सन् 20 14-15

केस का प्रकार CNT Act की धारा 46 के तहत अनुज्ञापत्र की भूमि दान की अनुमति के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

22-5-14


आवेदक दानकर्ता, नन्द केशरी सिंह पिता स्व० बुधु सिंह सा० परासपानी कला धुरकी जिला गढ़वा राज्य मारखण्ड ने आवेदन पत्र दे फर अपनी विन्तापित भूमि को दानग्राही किनोद सिंह पिता स्व० गोपाल सिंह सा० परासपानी कला सा० अम्बाश्वरेया धाना धुरकी जिला गढ़वा राज्य मारखण्ड से टायो कब्रदान करने हेतु अनुमति की मांग की है।

भूमि का विवरण

ग्राम+शानां०	खता	एलॉट	खता	चौकड़ी.
परासपानी कला 164	23	1187	0-42 क०	उत्तर - धनु साव द० - शनिचर खखार प० - तपेशर खखार प० - जोपाल केरवा
			0-42 क०	

(ब्यालीस डी० मात्र)

आम ईलदार निर्गत करें एवं संबंधित अंमल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग करें दिनांक 15-6-14 तक करें।


 उप समाहर्ता
 गढ़वा

आदेश की क्रम सं० और तारीख

1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

3

11-3-15

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी धुरकी के पत्रांक 190 दिनांक 11-9-2014 द्वारा जॉय प्रतियेदन एवं आम इस्तहार तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि ^{नक्शे/सूची पर प्रदर्शित} दोनो एक ही ग्राम परसपानी कला थाना धुरकी के रैयत हैं एवं दोनो एक ही जाति खरवार (अ.ज.जा.) के सदस्य हैं। स्वतियानी रैयत का आवेदक के मात्र जावा-नाती का सम्बन्ध है एवं वर्तमान में आवेदक के कब्जे में प्रस्तावित भूमि पर है। प्रस्तावित भूमि ^{भूमि} विक्री के पश्चात रकम 1.88 डी० भूमि शेष बचती है। प्रस्तावित भूमि का वर्ष 2013-14 तक का मालगुजारी सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है। स्वतियानी रैयत के वंशज होने के नाते अपनी भूमिका अवशीश कर रहे हैं। जिसे अंचल अधिकारी द्वारा भूमि अवशीश करने की अनुमति दी गई है।

भूमि का विक्रण

ग्राम+थाना	रपाता	कॉट	रकम	चौदही
परसपानी कला	23	-	1187-0.42 डी०	उत्तर-दूध साव द०-धनिचर खरवार पु०-लपटार खरवार प०-जोपाल कोरवा
0.42 डी०				

अतः अंचल अधिकारी के अनुमति के आलाक में उपरोक्त भूमि श्री नन्दकेशरी सिंह पिता लुधु सिंह सा० परसपानी थाना धुरकी जिला गढ़वा के नक्शीश प्राप्तकर्ता विनोद सिंह पिता जोला सिंह सा० परसपानी थाना धुरकी के छपों उपरोक्त भूमि अवशीश करने की अनुमति दी जाती है।
आवेदक एवं अवर निबंधक पदाधिकारी नगर उत्तारी को सूचित करें।

लेखापति/संबोधित

11/3/15
म० सु० उप समाहता,
नगर उत्तारी।

11/3/15
म० सु० उप समाहता,
नगर उत्तारी।